माननीय श्री आर.एस. नरूला न्यायमूर्ति के समक्ष

राम चंदर और अन्य,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी

1966 की सिविल रिट संख्या 2661।

15 मई 1967

उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम (1873 का आठवां) - धारा 5 7 - सरकार धारा के अंतर्गत आने वाले मामले का पता लगा रही है - क्या वह आकर्षित करने के लिए बाध्य है

अपेक्षित कार्य के लिए योजना को लागू करें - "हो सकता है" - चाहे इसे "करेगा" के रूप में पढ़ा जाए - सरकार द्वारा कर्तव्य का प्रदर्शन - चाहे अपने स्वयं के निर्णय पर सशर्त हो - उच्च न्यायालय - चाहे हस्तक्षेप कर सकता है।

माना जाता है कि एक बार जब सरकार को पता चलता है कि एक विशेष मामला उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम की धारा 57 के अंतर्गत आता है, तो यह अपेक्षित कार्यों के लिए एक योजना तैयार करने और प्रकाशित करने और उस संबंध में आगे की कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। जैसा कि अधिनियम में परिकल्पित है। उस सीमा तक, धारा 57 में "हो सकता है" को "करेगा" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि प्रासंगिक प्रावधान सार्वजनिक हित में नहर अधिकारियों पर एक कर्तव्य के प्रदर्शन का आदेश देता है। हालाँकि, उस कर्तव्य को निभाने का चरण केवल तभी उठता है जब "राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है" कि धारा में उल्लिखित किसी भी उद्देश्य के लिए कोई भी जल निकासी कार्य आवश्यक है।

अधिनियम की धारा 57 में निर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा कर्तव्य के निष्पादन को राज्य सरकार के निर्णय पर सशर्त बनाया गया है, जैसा कि धारा की प्रारंभिक पंक्ति में परिकल्पित है, प्रश्न में जल निकासी-कार्य प्रदान करने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय राज्य सरकार के स्थान पर स्वयं को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता और यह नहीं मान सकता कि जल निकासी-कार्य करना आवश्यक प्रतीत होता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका, जिसमें प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ताओं की भूमि को संचय से बचाने की योजना को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी, परमादेश या किसी अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए। याचिकाकर्ताओं की भूमि की उचित खेती के लिए पाई-किरहौली-पहलादपुर क्षेत्र में जमा पानी को बाहर निकालकर, और जुलाई, 1967 से पहले इसे लागू करना जब अगला बरसात का मौसम शुरू हो।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आर.एस.मित्तल।

प्रतिवादियों की ओर से महाधिवक्ता (एच) की ओर से आर. एन. मित्तल, अधिवक्ता।

<u>निर्णय</u>

माननीय श्री नरूला, न्यायमूर्ति:

यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक योजना बनाने के लिए हरियाणा राज्य और उपायुक्त, रोहतक को परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए एक याचिका है। उत्तरी भारतीय नहर और जल निकासी अधिनियम, 1873 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 57 के तहत याचिकाकर्ताओं की भूमि को बाढ़ या पानी के अन्य संचय से बचाने के लिए उपयुक्त जल निकासी-कार्य प्रदान करना।

इस मामले में राम चंदर और 24 अन्य याचिकाकर्ता तीन अलग-अलग गांवों, अर्थात् पाई, पहलादपुर और किरहौली से हैं। तीन गांवों की भूमि के पश्चिम में पाई-वितरक है जो लंबे समय से अस्तित्व में है। आरडी 64,000 पर उक्त डिस्ट्रीब्यूटरी के तहत बहुत पहले 1958 में एक साइफन प्रदान किया गया था। याचिकाकर्ताओं की भूमि के दक्षिण में, जौंती माइनर को पूर्व की ओर पाई-डिस्ट्रीब्यूटरी से बाहर ले जाया गया है। मानसून के दौरान, याचिकाकर्ताओं की भूमि पर पानी जमा हो जाता है, जिसे रिट याचिका के योजना अनुबंध 'ए' में बाढ़ क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। जबकि पश्चिम में पाई-वितरक और दक्षिण में जौंती माइनर है, प्रश्नाधीन भूमि के पूर्व में एक रेतीला ढेर है (जिसे थली के नाम से जाना जाता है) जो कि नदी के स्तर से लगभग 15 से 20 फीट ऊंचा बताया जाता है। याचिकाकर्ता. डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर के किनारे और बेड याचिकाकर्ताओं के खेतों से ऊंचे हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे नहर प्राधिकरणों के साथ-साथ सरकार को भी 1952 से नहर को साफ करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए अभ्यावेदन दे रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं की भूमि को पानी जमा होने के खतरे से बचाया जा सके। न केवल याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी गई, बल्कि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, साइफन को आरडी 64,000 पर स्थापित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप पाई-वितरक के पश्चिम में भूमि का पानी याचिकाकर्ताओं के खेतों में चला गया।

ऐसा कहा जाता है कि जुलाई 1964 के आसपास नहर अधिकारियों द्वारा आरडी 3800 पर जौंती माइनर के नीचे एक साइफन स्थापित करने का निर्णय लिया गया था ताकि पानी को आयताकार बैंड (वितरक द्वारा निर्मित, माइनर और थाली) के अंदर जमा होने दिया जा सके।) जौंती माइनर के दक्षिण में स्थित गांव कुलासी की ओर जाने के लिए। प्रस्तावित साइफन के माध्यम से पानी की निकासी की व्यवस्था करने से पहले अगस्त 1964 में गांव किरौली के एक भूप सिंह ने पंजाब सरकार को उक्त निर्णय को लागू करने से रोकने के लिए एक नागरिक मुकदमा दायर किया था। कहा जाता है कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान सिविल कोर्ट द्वारा एक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई थी।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, जौंती माइनर के दक्षिण में जमीन रखने वाले व्यक्तियों द्वारा साइफन को बाधित किया गया था, जिसके संबंध में 12 अक्टूबर, 1964 की एक रिपोर्ट (अनुलग्नक * डी') थी। कार्यकारी अभियंता, दिल्ली डिवीजन, पश्चिमी जमुना नहर, दिल्ली बनाया गया था; उपायुक्त:रोहतक। tftff' वाद के लंबित रहने के दौरान उपखण्ड अधिकारी का शपथ पत्र। दिल्ली उप-मंडल; दिनांक 7 सितंबर 1964 (अनुलग्नक 'बी') सिविल कोर्ट में दायर किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि सरकार ने निर्माण का प्रस्ताव दिया था

जौंती माइनर के नीचे उपर्युक्त साइफन, जो भूप सिंह की भूमि को नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि साइफन से गुजरने वाला बारिश का पानी इसे कुलासी ड्रेन से जोड़ने वाले लिंक ड्रेन से निकाला जाएगा। उक्त हलफनामे में उप-विभागीय अधिकारी द्वारा यह दर्शाया गया है कि साइफन के निर्माण को मुख्य अभियंता, सिंचाई द्वारा मामले को ध्यान से देखने के बाद मंजूरी दी गई थी और साइफन का उद्देश्य संचित वर्षा को निकालना था। पै का पानी. कुलासी और आसपास के अन्य गाँव। उक्त हलफनामा दाखिल करने के बाद, भूप सिंह ने कार्रवाई के उसी कारण पर एक नया मुकदमा दायर करने की अनुमति के साथ अपना मुकदमा वापस लेने के लिए सिविल कोर्ट में आवेदन किया। जिस अनुमति के लिए प्रार्थना की गई थी, उसे अस्वीकार कर दिया गया और ट्रायल कोर्ट के आदेश, दिनांक 30 अक्टूबर, 1964 (अनुलग्नक 'सी') द्वारा मुकदमा खारिज कर दिया गया।

इससे पहले कि जौंती माइनर के नीचे स्थापित साइफन के काम में बाधा डालने वाले अनधिकृत बैंड को ध्वस्त किया जा सके। 1964 की सिविल रिट संख्या 2566, भीम सिंह के बेटे राम सिंह और जयमल के बेटे भूप सिंह (सिविल मुकदमे में वादी) सहित 149 अन्य लोगों द्वारा पंजाब सरकार और नहर अधिकारियों पर लगाम लगाने के लिए इस अदालत में दायर की गई थी। साइफन का पानी निकालने के लिए इच्छित नाली की खुदाई से। 27 अप्रैल, 1966 को रिट याचिका की अंतिम सुनवाई में सरकार की ओर से कहा गया कि किरबौली-कुलासी नाले की खुदाई की योजना को छोड़ दिया गया था और दूसरे नाले (पाई-किरहौली) के संबंध में राज्य की स्थिति क्या है? क्या तब तक उसकी खुदाई के लिए कुछ नहीं किया गया था और जब भी उस नाले की खुदाई की आवश्यकता होगी, उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद "स्वैच्छिक श्रम और मुफ्त भूमि" द्वारा इसकी खुदाई की जाएगी। वकील के उक्त बयान के मद्देनजर, रिट याचिका को कौशल, जे. के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, (जैसा कि वह तब था!) दिनांक 27 अप्रैल 1966 (अनुलग्नक 'ई')। इस बीच राष्ट्रपति का शासन था 5 जुलाई, 1936 से पूर्ववर्ती संयुक्त राज्य पुनियाब में लागू किया गया। इसलिए, याचिकाकर्ताओं ने 8 अगस्त, 1966 को अपना अभ्यावेदन (अनुलग्नक 'एफ') पंजाब के राज्यपाल को सौंपकर यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल एनयूआईआरवी स्थापित करने का अनुरोध किया। जौंती माइनर के नीचे स्थापित साइफन को कैसे और क्यों हटा दिया गया था और उक्त साइफन को फिर से ठीक करने का निर्देश दिया गया था ताकि याचिकाकर्ताओं के खेतों से जमा पानी का प्रवाह हो सके। याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार वर्तमान रिट याचिका में, उक्त साइफन को

गलत तरीके से हटा दिया गया था। रिट याचिका (सिविल) के लंबित रहने के दौरान रिट संख्या 2566 ऑफ 1964) उस रिट में याचिकाकर्ताओं ने तत्कालीन सिंचाई और बिजली मंत्री, पंजाब, चौधरी से संपर्क किया। रिज़क राम. आरोप है कि उक्त मंत्री ने याचिकाकर्ताओं को बिना कोई नोटिस दिए पूरी योजना रद्द करवा दी। बताया जाता है कि राज्यपाल ने याचिकाकर्ताओं के लिखित प्रतिवेदन पर रोहतक के उपायुक्त को इस मामले में कुछ करने का आदेश दिया है। अगस्त, 1966 के अंत में डिप्टी कमिश्नर ने घटनास्थल का दौरा किया और जनता से विभिन्न सुझाव आमंत्रित किए, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने इस मामले में कुछ नहीं किया। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उपरोक्त परिस्थितियों में उनके पास इस न्यायालय में आने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। इस प्रकार वर्तमान रिट याचिका दायर की गई थी। 22 दिसंबर, 1966 को मोशन बेंच द्वारा रिट याचिका की शीघ्र सुनवाई का निर्देश दिया गया था। चूंकि याचिकाकर्ताओं को डर था कि याचिका के निपटान में देरी से उन्हें अपूरणीय क्षति होगी, इसलिए उन्होंने 1967 का सिविल मिसलेनियस नंबर 1138 दायर किया। दिनांक 20 अप्रैल, 1967 को इस न्यायालय में उत्तरदाताओं को कुछ निश्चित समय के भीतर अपना लिखित बयान प्रस्तुत करने और मई के पहले सप्ताह में सुनवाई के लिए रिट नेटिशन तय करने का निर्देश देने के लिए आदेश दिया गया। 1967. पी. डी. शर्मा। जे. ने उस आवेदन पर 24 अप्रैल 1967 को एक आदेश पारित किया जिसमें मुख्य मामले को 8 मई 1967 को नंबर 1 पर सुनवाई के लिए निर्धारित करने का निर्देश दिया गया। जब मामला उस दिन मेरे सामने आया, तो एक अनुरोध किया गया था राज्य के विद्वान वकील ने उत्तरदाताओं को नियम पर रिटर्न दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए कुछ दिनों का स्थगन दिया। हालाँकि मेरे द्वारा पदोन्नति से इनकार कर दिया गया था। मामला आज तक सुनवाई तक नहीं पहुंच सका. इसके बावजूद किसी भी प्रतिवादी की ओर से कोई लिखित बयान दाखिल नहीं किया गया है.

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री आर.एस.मित्तल ने अधिनियम की धारा 57 में निहित निम्नलिखित प्रावधानों को लागू किया है: -

“57. जब भी राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी भूमि के सुधार, या उसकी उचित खेती या सिंचाई के लिए कोई जल निकासी-कार्य आवश्यक है;

या यदि किसी भूमि के लिए बाढ़ या पानी के अन्य संचय, या नदी द्वारा कटाव से सुरक्षा की आवश्यकता है, तो राज्य सरकार ऐसे जल निकासी-कार्यों के लिए एक योजना तैयार कर सकती है और एक अनुमान के साथ प्रकाशित कर सकती है। इसकी लागत और ऐसी लागत के अनुपात का एक विवरण जिसे राज्य सरकार चुकाने का प्रस्ताव रखती है, और भूमि की एक अनुसूची जिसे योजना के संबंध में प्रभार्य बनाने का प्रस्ताव है।''

सरदार गोविंदराव और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि उपर्युक्त अभिव्यक्ति "ऐसे जल निकासी-कार्यों के लिए एक योजना

तैयार करने का कारण बन सकती है* *" -उद्धृत प्रावधान को "इस तरह के जल निकासी-कार्यों के लिए एक योजना तैयार करने का कारण बनेगा" के रूप में पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए क्योंकि यह शायद ही इरादा किया जा सकता है कि अपेक्षित योजना के निर्माण और प्रकाशन की आवश्यकता वाले अनुभाग का ऑपरेटिव हिस्सा था उस संबंध में अधिकारियों को पूर्ण विवेकाधीन अधिकार देकर इसके उद्देश्य को पूरी तरह से भ्रामक और निरर्थक बना दिया जाएगा। यह तर्क दिया गया कि वैधानिक प्रावधान याचिकाकर्ताओं के प्रति अपने कर्तव्य के संबंध में सरकार पर एक दायित्व डालता है और चूंकि धारा की शर्तों को पूरा किया गया है, इसलिए नहर अधिकारियों के पास इस मामले में कोई विवेकाधिकार नहीं है और उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। अधिनियम की धारा 57 के तहत कार्य करें और एक उपयुक्त योजना बनाएं और प्रकाशित करें और याचिकाकर्ताओं की भूमि को बाढ़ से बचाने के लिए उनके खेतों में जमा वर्षा जल को निकालने की व्यवस्था करें। वकील यह कहने में सही प्रतीत होता है कि एक बार जब सरकार को पता चलता है कि एक विशेष मामला धारा 57 के चार कोनों के अंतर्गत आता है, तो यह अपेक्षित कार्यों के लिए एक योजना तैयार करने और प्रकाशित करने और उस संबंध में आगे की कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। अधिनियम में परिकल्पना की गई है। उस सीमा तक, धारा 57 में "एमएवी" को "करेगा" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि प्रासंगिक प्रावधान ओबीकेसी हित में नहर अधिकारियों पर कर्तव्य के प्रदर्शन को दर्शाता है। हालाँकि, उस कर्तव्य को निभाने का चरण केवल तभी उठता है जब "राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है" कि अनुभाग में उल्लिखित किसी भी उद्देश्य के लिए कोई भी जल निकासी कार्य आवश्यक है। अगस्त के बाद दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। 1966 में, जब याचिकाकर्ताओं का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, तो राज्य सरकार को यह प्रतीत हुआ कि पुन: जल निकासी कार्य आवश्यक थे। श्री आर.एस. मित्तल ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया है कि 12 अक्टूबर, 1964 के पत्र (अनुलग्नक 'डी') के साथ पढ़ी गई साइट n'an (रिट याचिका का अनुलग्नक 'ए') को देखने मात्र से पता चलता है कि राज्य सरकार ने किसी स्तर पर ऐसा किया था। कम से कम पुनः जल निकासी-कार्य प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त महसूस करें। यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि किस कारण से राज्य सरकार ने पिछली योजना को रद्द कर दिया + जौंती माइनर के तहत आर.डी. 3800 पर एसवीफ़ोन स्थापित किया। याचिकाकर्ताओं के लिए इससे भी बुरी बात यह है कि वे प्रस्तुत किए गए किसी भी आवेदन या अभ्यावेदन की मामले की प्रति को रिकॉर्ड में शामिल नहीं कर पाए हैं।

अधिनियम की धारा 57 और उस पर पारित किसी भी आदेश के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उक्त अधिकारियों को। यह भी नहीं दर्शाया गया कि उस प्रतिवेदन का अंतिम परिणाम क्या हुआ। किसी भी मामले में, परमादेश की प्रकृति में रिट जारी करने के किसी भी दावे पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि इस न्यायालय में आने से पहले प्रतिवादी को नोटिस द्वारा सटीक राहत नहीं मांगी जाती है।

राज्य के विद्वान वकील श्री आर.एन.मित्तल ने मेरा ध्यान कमल कैथल सहकारी सोसायटी बनाम राज्य (2) मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले की ओर आकर्षित किया है। जिसमें इस तरह के रिट को जारी करने के लिए चार पूर्व-आवश्यकताओं का संदर्भ दिया गया है, अर्थात, -

(1) कि याचिकाकर्ता के पास मांगी गई राहत का स्पष्ट और विशिष्ट कानूनी अधिकार है:

(2) कि प्रतिवादी पर कानून द्वारा एक कर्तव्य लगाया गया है:

(3) ऐसा कर्तव्य अनिवार्य मंत्रिस्तरीय चरित्र का है जिसमें प्रतिवादी की ओर से कोई निर्णय या विवेक शामिल नहीं है; और

(4) कि याचिकाकर्ता के पास उस अधिकार को लागू करने के लिए कोई अन्य समान रूप से प्रभावी उपाय उपलब्ध नहीं है जिससे उसे वंचित कर दिया गया है।

न केवल ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं ने इस याचिका को दायर करने से पहले उत्तरदाताओं से लिखित नोटिस द्वारा विशिष्ट राहत की मांग नहीं की है, बल्कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 57 में निर्दिष्ट कर्तव्य का पालन किया जा रहा है। धारा की प्रारंभिक पंक्ति में विचाराधीन जल निकासी कार्यों को प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में राज्य सरकार के फैसले पर सशर्त बनाया गया है। यह न्यायालय राज्य सरकार के स्थान पर खुद को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है और यह मान सकता है कि यह आवश्यक प्रतीत होता है। जल निकासी का कार्य करने के लिए कहा गया है।

इन कार्यवाहियों में याचिकाकर्ताओं को कोई राहत मिलने की राह में एक और बाधा यह है कि, वास्तव में, वे व्यावहारिक रूप से टौंटी माइनर के तहत साइफन को फिर से खोलने की मांग कर रहे हैं। स्वयं याचिकाकर्ताओं के अनुसार, भूप के कहने पर बंद कर दिया गया हालाँकि याचिका में भूप सिंह के सिविल मुकदमे और जौंती माइनर के दक्षिण में भूमि के मालिक द्वारा दायर पिछली रिट याचिका का संदर्भ दिया गया है, लेकिन उनमें से किसी को भी इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया है। रिट याचिका पर कोई निर्देश देना असंभव है जो सीधे तौर पर उन व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है जो प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं हैं। जहां तक पाई डिस्ट्रीब्यूटरी में आर.डी. 64000 पर साइफन का सवाल है, इसे 1958 में स्थापित किया गया था और 1966 में इसे हटाने के लिए दायर की गई याचिका पर लैच के कारण विचार नहीं किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ताओं को कोई राहत देना संभव नहीं लगता।

इस तथ्य के बावजूद कि मैं कानूनी आधार पर इस रिट याचिका को खारिज करने के लिए मजबूर महसूस करता हूं, ऐसा प्रतीत होता है कि मामले का न्याय याचिकाकर्ताओं के पक्ष में हो सकता है और सरकार को निष्पादन के लिए जितनी जल्दी हो सके पर्याप्त आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

याचिकाकर्ताओं द्वारा अब इस संबंध में किए जाने वाले किसी भी नए अभ्यावेदन पर विचार करके अधिनियम की धारा 57 के तहत उन पर लगाए गए कर्तव्य। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि याचिकाकर्ता उचित तरीके से राज्य सरकार से संपर्क करते हैं, तो वह इस मामले पर गौर करेगी और यदि वह कुछ जल निकासी-कार्यों के लिए अपेक्षित प्रावधान करना आवश्यक समझती है, तो वह धारा 57 के तहत कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ेगी। याचिकाकर्ताओं की लंबे समय से चली आ रही शिकायत का निवारण करने के लिए अधिनियम।

उपरोक्त टिप्पणियों के अधीन यह रिट याचिका लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज की जाती.

अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह : अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हरिकिशन
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
जिला न्यायालय, गुरुग्राम, हरियाणा